# कार्यवाही विवरण

मेसर्स चांपा मिनरल्स (बिरगहनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–बिरगहनी, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) स्थित कुल क्षेत्रफल–2.336 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना–पत्थर एवं क्रशिंग (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–38,827.69 टन प्रतिवर्ष (15,531.08 घनमीटर प्रतिवर्ष) के स्थापना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 06.09.2021 समय 11.00 बजे स्थान–शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कबीरधाम ग्राम–बिरगहनी, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार मेसर्स चांपा मिनरल्स (बिरगहनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–बिरगहनी, तहसील–जांजगीर, जिला– जांजगीर –चांपा (छ.ग.) स्थित कुल क्षेत्रफल–2.336 हेक्टेयर में प्रस्तावित चूना–पत्थर एवं क्रशिंग (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–38,827.69 टन प्रतिवर्ष (15,531.08 घनमीटर प्रतिवर्ष) के स्थापना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर, बिलासपुर में दिनांक 03.08.2021 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली मुख्य संस्करण में दिनांक 03.08.2021 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 06.09.2021 समय 11.00 बजे स्थान–शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कबीरधाम ग्राम–बिरगहनी, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 04.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु कार्यालय कलेक्टर जांजगीर–चांपा, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर–चांपा, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) चांपा/जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, सरपंच/सचिव कार्यालय, ग्राम पंचायत बिरगहनी (च), उदयबंद, पीथमपुर, जर्वे, कुलीपोटा, दर्राभाठा, पिसौद, नगर पालिका परिषद चांपा, लच्छनपुर, मड़वा, बसंतपुर, खोखसा, नगर पालिका परिषद जांजगीर, घटोली, कुरदा, कुदरी, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.), डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भू–तल, पूर्व विंग, नया सचिवालय भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर (महाराष्ट्र) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ हैं।

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 06.09.2021 को समय 11.20 बजे, स्थान–शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कबीरधाम ग्राम–बिरगहनी, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्रीमती लीना कोसम, अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति के साथ देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री जगमोहन कुमार चंद्रा, कंसलटेन्ट, इनविबा इन्वायरमेंटल सर्विसेस, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा मेसर्स चांपा मिनरल्स (बिरगहनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–बिरगहनी, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर – चांपा (छ.ग.) परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री अंकित पटेल, चांपा** :– इसमें स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस मेरे को 02 चीज जाननी थी। एक तो ये स्थानीय लोगों को कितना रोजगार मिलेगा। दूसरा कितने पेड लगाये जाना प्रस्तावित है। 02 सवाल।

2. **श्री अजय कुमार, ग्राम–धनेली** :–खदान खुलना चाहिए। जिसे हमें रोजगार मिलता है। इससे हमारी घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

3. **श्री हरि कुमार, चांपा** :–मेरा सवाल ये है कि इस खदान के खुलने से रोजगार का सुलझन तो होगा। लेकिन वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण किस तरह नियंत्रित किया जायेगा। उसके बारे में कुछ टीका–टिप्पणी जरूर करेंगे।

4. **श्री बालाजी साहू, ग्राम–बिरगहनी** :– हमारे क्षेत्र में जो अभी खदान का सुनवाई चल रही हैं, इसके होने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि मानको का पालन करते हुए वो अभी नजर आ रहे है। जिस समय हमें आपत्ति करने का समय आयेगा तो अपने जागरूको को ले के आपत्ति दर्ज कराई जायेगी। फिलहॉल तो कोई भी नहीं।

5. **श्री सतीश बंसल, ग्राम–बाराद्वार** :–मैं खदान खुलने का समर्थन करता हूॅ। ताकि यहां के ग्रामीणों को रोजगार मिलें और यहां के ग्रामीणों की तरक्की हो सके।

6. **श्री नागेन्द्र सिंह, चांपा** :– मेरा सिर्फ सुझाव है मैं सुझाव के संबंध में बोलूंगा कि ये माईनिंग से किसी को आपत्ति नहीं है। इस माईनिंग में कुछ चीजो का प्रेसेंन्स ध्यान दिया जाये और कुछ ऐसे डेव्हलपमेंट करवाये जाये। जिससे ग्रामीणो को आपत्ति नहीं हो और बल्कि ग्रामीण सहयोग करें। मेरा ये सबसे पहला ये जो ग्रामीणों की सबसे ज्यादा कम्पलेन रहती है वो है कंट्रोल ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों का ये रहता है कि हमारे यहां दीवार बने है क्रेक आ गया। हमारे यहां पत्थर आया। ब्लास्टिंग कंट्रोल की जाये। किसी ऐसे रजिस्टर्ड लायसेंसी को दिया जाये काम जो कंट्रोल ब्लास्टिंग करें। किसी प्रकार को कोई नुकसान न हो। प्लस ब्लास्टिंग के समय जो वहां पर लेबर रहती है। जो स्टाफ रहता है। ये जो लोग आसपास रहते है। उन्हे सेफ्टी रूप से उन्हे ये पूरी सुविधा दी जाये। वो जो लेबर वहां माईनिंग में काम कर रहे है माईनिंग करेगी उन लेबर्स को शूज, हेलमेट वगैरह है एयर फोन सारे दिये जाये। दूसरा हमारे क्षेत्र में इस समय बारिश की बहुत कमी रहती है तो माइंस के चारो तरफ पर्यावरण की दृष्टि से माइंस के चारों तरफ कम से कम 500 से 700 वृक्ष लगाये जाये। चूंकि वृक्ष सभी लोग लगाते है क्रेशर वाले लेकिन वृक्ष पनप नहीं पाते। तो उसकी प्रार्पर व्यवस्था की जाये। उसकी व्यवस्था के लिए, वृक्ष को कैसे पनप के रहे वो, उसमें कैसे ग्रोथ आये। वो कैसे बढ़े। इसके अलावा जो माईनिंग प्लेस है जिससे हमारा कंनेक्टिंग रोड है या जो भी एप्रोज रोड के जा के मिलता है। उस रोड़ के ऊपर दोनों तरफ छायाद्वार वृक्ष लगाया जाये, फलदार वृक्ष लगाया जाये ताकि ग्रामीणों को उस चीज की सुविधा मिले और उन वृक्षो का पूरी तरह से मैं किशोर राठोर से निवेदन करना चाहता हूॅ कि वो इसके लिए अलग से अपना एक ग्राम पंचायत के साथ में बैठ के एक मद बने निशिचित करे और उस मद में या तो ग्राम पंचायत के लोग पानी में या किशोर के स्टाफ उसमें प्रतिदिन पानी की व्यवस्था करें। तीसरा ये जो जिस जगह हम खड़े हो के ये कार्यक्रम को संचालित कर रहे है ये कार्यक्रम एक

प्राथमिक शाला एक ये स्कूल है। यहां पर बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की जाये। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम किया जाये ताकि यहां पे पानी समुचित व्यवस्था में रहें। बच्चों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था बहुत सभी जगह नहीं होती है। प्रार्पर यहां पर टीचर्स जो आते है उनके लिए भी नहीं होता है या जो लोग इन्सपेक्शन करने अधिकारी लोग आते है उनके लिए भी नहीं होता है। टॉयलेट की व्यवस्था करें। मैं किशोर राठौर से चाहता हूॅ कि व्यवस्था करे और स्कूल में भी छायादार वृक्ष लगाये। स्कूल को समय–समय पे रिपेयर कराये। कलर करवाये और स्कूल में बच्चों के लिए गर्मी के मौसम पर वॉटर कूलर की व्यवव्स्था कराये।

7. **श्री केदार कुंम्भकार, ग्राम–लच्छनपुर** :– प्रकृति वायु प्रदूषण ये सबको देखते हुए कार्य किया जाये।

8. **श्री मनोज साहू ग्राम–बिरगहनी** :– मेरा समर्थन है।

9. **श्री बलराम देवांगन, चांपा** :–खदान खुलने का समर्थन करता हूॅ।

10. **श्रीमती राजेश्वरी केवट, ग्राम–बिरगहनी** :– खदान खुलवाना चाहती हूॅ।

11. **श्रीमती संतोषी यादव** :–खदान खुलवाना चाहती हूॅ। हमको रोजगार मिलना चाहिए।

12. **श्री रितेश यादव, जांजगीर** :–मैं समर्थन करता हूॅ।

13. **श्री प्रसन्नजीत सिंह, ग्राम–बिरगहनी** :– खदान खुलने के पक्ष में हूॅ। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा व उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

14. **श्री रामगोपाल डडसेना, ग्राम–देवरहा** :–इस जन सुनवाई का समर्थन करता हूॅ और शासन के निवेदन करता हूॅ। छोटे–छोटे क्षेत्र के लिए इतना बड़ा जन सुनवाई करना उचित नहीं है कृपया शासन के तरफ से जहां से भी ये नियम बना हुआ है वहां हमारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुये है। उनसे मैं निवेदन करता हूॅ कि हमारा निवेदन उनके तक पहुंचे छोटे–छोटे खदान के लिए इतना बड़ा जन सनुवाई करवाना उचित नहीं है और इसका मैं विरोध करता हूॅ और इस जन सुनवाई का मैं समर्थन करता हूॅ।

15. **श्री चंद्रशेखर पाण्डेय, ग्राम–बिरगहनी** :– इस जन सुनवाई का सर्मथन करता हूॅ और इस मंच के माध्यम से आप सभी अधिकारियों से यह निवेदन करता हूॅ कि कृपया कर उस स्थान जहां पर माइंस और लाईम स्टोन का उत्पादन होता है वहां पे बोर ब्लास्टिंग न की जाये।

16. **श्री घनश्याम साहू, ग्राम–बिरगहनी** :– बोर ब्लास्टिंग नहीं होना चाहिए। बोर ब्लास्टिंग के चलते घर के दीवाल क्रेक हो जा रहा है। इसके लिए मै नहीं होना चाहिए बोर ब्लास्टिंग।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर–चांपा तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 12:13 बजे अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से श्री जगमोहन कुमार चंद्रा, कंसलटेन्ट, इनविबा इन्वायरमेंटल सर्विसेस, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रायपुर (छ.ग.), मेसर्स चांपा मिनरल्स (बिरगहनी लाईम स्टोन माईन), ग्राम–बिरगहनी, तहसील–जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) के द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। लगभग 1:00 बजे अपर कलेक्टर, कार्यालय कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 40 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 16 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 75 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 34 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

**क्षेत्रीय अधिकारी**
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

**अपर कलेक्टर**
**कार्यालय कलेक्टर**
जांजगीर–चांपा